राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की योजना बनाई

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि सरकार जल्द ही **समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक** पेश करेगी।

मुख्य बिंदु:

- प्रस्तावित UCC विधेयक का उद्देश्य **विवाह, तलाक और संपत्ति की विरासत से संबंधित समान कानून** स्थापित करना है। इसका उद्देश्य धार्मिक तरीकों से **बहुविवाह और तलाक जैसी प्रथाओं पर अंकुश** लगाना है।
- उत्तराखंड की तर्ज़ पर, **राजस्थान UCC विधेयक आदिवासी समुदाय को छूट देगा, क्योंकि उन्होंने अपने रीति-रिवाज़ों और प्रथाओं को असंगत बताते हुए गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं।**

समान नागरिक संहिता (UCC)

- समान नागरिक संहिता का **उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है,** जो **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP)** का अंग है।
- ये निदेशक तत्त्व **कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन** नीति निर्माण **में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।**
    - UCC का कुछ लोगों **द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय** को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ **लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता तथा विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।**
- **भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है** जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे **गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code)** के रूप में जाना जाता है।
    - हाल ही में **उत्तराखंड** ने भी राज्य विधानसभा में **UCC बिल** पेश किया है।
- **शेष भारत** में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर **विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws)** का पालन किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-government-plans-uniform-civil-code-ucc